न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 60/2019

अपीलान्ट्स

जालाराम पुत्र स्व0 तेजाराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम जालेली दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्रीमती लाछा पत्नी स्व0 तेजाराम
2. श्रीमती तुलसी पुत्री स्व0 तेजाराम
3. श्रीमती चम्पा पुत्री स्व0 तेजाराम
4. श्रीमती राजी पत्नी जालाराम
5. बलदेव पुत्र जालाराम
6. मगराज पुत्र जालाराम
7. स्वरूप पुत्री जालाराम
8. कमला पुत्री जालाराम
9. शीला पुत्री जालाराम
   जातियान जाट, निवासी– ग्राम जालेली दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।
10. तहसीलदार जोधपुर तहसील कार्यालय जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 14.06.2018 ग्राम जालेली दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर, जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अशोक चौधरी उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– **18.12.2019**

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 14.06.2018 ग्राम जालेली दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर, जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता तेजाराम पुत्र हीराराम की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 218 रकबा 09 बीघा, किस्म बारानी

प्रथम, खसरा संख्या 265 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 267/1 रकबा 12 बीघा, किस्म बारानी प्रथम कुल खसरान् 3 कुल रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम जालेली दईकड़ा, पटवार क्षेत्र जालेली दईकड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। अपीलान्ट के पिता तेजाराम के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलान्ट के जीवित होते हुए भी अपीलान्ट को मृत बताकर नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 14.06.2018 को स्वीकृत किया जाकर अपीलान्ट के स्थान पर उसके वारिसान् का नाम रेकर्ड में अमल–दरामद कर दिया। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 14.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर से सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया।

दिनांक 14.10.2019 को अपीलान्ट जालाराम पुत्र स्व0 तेजाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती लाछा पत्नी स्व0 तेजाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राजी पत्नी तेजाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बलदेव पुत्र जालाराम उपस्थित हुए। जिसकी पहचान अपीलान्ट अभिभाषक श्री अशोक चौधरी ने की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.06.2019 को हुई, जब अपीलार्थी के द्वारा ऋण प्राप्ति हेतु राजस्व रेकर्ड की प्रति प्राप्त की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से मियाद बिन्दु बाबत् कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया। अतः न्यायहित में अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है। यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी मृतक तेजाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ग्राम जालेली दईकड़ा का जायन्दा पुत्र है तथा वर्तमान में जीवित है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की पुश्त पर मृतक तेजाराम के वारिसानों की वंशावली अंकित की हुई है जिसमें जालाराम को फौत बताया जाकर उसके वारिसान् (रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 9) के नाम अंकित किये गये, परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा जालाराम की मृत्यु होने की पुष्टि नहीं की गई और न ही हल्का पटवारी ने मृत्यु होने का दस्तावेज प्राप्त किया। अतः

संबंधित राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अपीलान्ट जालाराम हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक तेजाराम का प्रथम श्रेणी का वारिसान् है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 697 दिनांक 14.06.2018 ग्राम जालेली दईकड़ा को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह मृतक के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे। प्रस्तुत प्रकरण में व्यक्ति के जीवित होने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के जीवित व्यक्ति को मृतक बताते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलकर गंभीर अनियमितता बरती गई है। अतः इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक समझते है। अतः उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण में कौन–कौन राजस्व कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार है उसकी जांच एक माह के भीतर कर जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) जोधपुर को रिपोर्ट प्रेषित करें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.12.30 18:40:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: